अंचल कार्यालय, बोआरीजोर।

आदेश

अतिक्रमण वाद सं0–01/2020–21

पटवारी मुर्मू ग्राम प्रधान मौजा–कुशबिल्ला बनाम् रौशन अंसारी पे0–शुकर अली अंसारी वगैरह ग्राम–कुशबिल्ला

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अनुपाल
23/07/25	इस वाद का प्रारंभ आवेदक पटवारी मुर्मू ग्राम-प्रधान मौजा-कुशबिल्ला थाना नं0-20 पंचायत-कुशबिल्ला थाना-राजाभीठा अंचल-बोआरीजोर जिला-गोड्डा के आवेदन से होता है, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम-कुशबिल्ला पंचायत-कुशबिल्ला थाना-राजाभीठा के कुछ व्यक्तियों द्वारा गॉव के गौचर जमीन पर मकान बनाकर एवं ईट का भट्ठा लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जॉच कराई गई। जॉचोपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कुशबिल्ला थाना नं0-20 के गैरमजरूआ खाता सं0-62 के दाग सं0-791 किस्म गौचर के अंतर्गत कुल-13 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर मकान, झोपड़ी आदि बनाया गया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों की सूची भी संलग्न की है, जो संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि सरकारी भूमि है जो गैरमजरूआ पंजी में किस्म गौचर कहकर दर्ज है जो बिहार/झारंखड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक लोक भूमि है पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है जिसके आधार पर:- 1. उक्त मौजा के चिन्हित अतिक्रमणकारियों के विरूद्व अतिक्रमण हटाने हेतु झारखंड लोक अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा-3 के अंतर्गत फॉर्म-I में नोटिश निर्गत किया गया जिसके आलोक में अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उक्त भूमि पर उसके दावा व हक /अधिकार बनता हो। 2. अतिक्रमित भूमि न तो अतिक्रमणकारियों की कृपि भूमि से जुड़ी है और न ही कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है। अत: उक्त भूमि बंदोवस्ती हेतु प्रतिबंधित है। बिहार/झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के तहत अतिक्रमणकारियों के विरूद्व दंड का प्रावधान है। 3. अत: बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) (C) के अंतर्गत उक्त लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित करता हूँ। 4. लोक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटा लें। 5. यदि निर्दिष्ट समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो अतिक्रमित भूमि पर विद्यमान सभी प्रकार की संरचनाएँ जब्त कर ली जाएगी और आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग करके उन्हें हटा दिया जाएगा। 6. राजस्व उपनिरीक्षक बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 एवं दंड प्रकिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत ऐसे व्यक्ति के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कर सूचित करें। 7. अंचल सहायक, अतिक्रमणकारियों के विरूद्व फॉर्म-II में नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी बोआरीजोर।	

Digitally signed by location
Date: 2025.10.16 16:14:17 +05:30
Location: 192.168.31.129